प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

अभियुक्तगण को हुई 03 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा

दिनांकः 27.08.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में आज दिनांक 27.08.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना महोली से सम्बन्धित मु0अ0सं0 334/12 धारा 308/323/504/34 भादवि बनाम 1.कुलदीप सिंह 2.भुल्लन सिंह पुत्रगण मुन्ना सिंह निवासी ग्राम बरातपुर थाना महोली सीतापुर में महोली पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 27.08.2021 को विचारण पूर्ण कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-09 सीतापुर द्वारा अभियुक्तगण 1.कुलदीप सिंह व 2.भुल्लन सिंह उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 308/34 भादवि में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000/- रूपए अर्थदण्ड, धारा 323/34 भादवि में 06 माह सश्रम कारावास व 5,00/-रुपये अर्थदण्ड, 504 भादवि में 06 माह सश्रम कारावास व 5,00/-रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।

....